राजस्थान सरकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
305/2019	20.11.2019	29.01.2025

उनवानः

1. अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र हंसराज जाटव निवास प्रताप कॉलोनी वार्ड सं0 2 तहसील छाबडा जिला बांरा राज0।
2. मैसर्स प्रियदर्शिनी पोलिसैक्स लि0 पंजीकृत कार्यालय एफ/41 प्रथम तल ट्रेड सैन्टर स्टेशन रोड कोल्हापुर महाराष्ट्र–416001 जरिये डायरेक्टर प्रतीम एन. सिंघवी पुत्र नेमचन्द सिंघवी निवासी सी–503 ब्लूवैल अपार्टमेन्ट नियर लोहिया तुलिप अपार्टमेन्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.........प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री सतीश निमोरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। **निर्णय** ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1790 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम गिगलाना मे वादी का 1/3 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा है जो आराजी शामलाती खातेदारी मे दर्ज है रिकार्ड व मौके पर बिना बंटी हुई है । प्रतिवादी आराजी का बिना तकासमा कराये अच्छे से अच्छे भाग पर जबरन कब्जा करके उसको बेचान करने पर उतारू हो रहे है ऐसी सूरत मे आराजी मुतनाजा पर कुर्रे कायम किऐ जाकर कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अच्छी से मे अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के मुताबिक जमाबन्दी हिस्से के अनुसार अलग–अलग नम्बर कायम किऐ जाकर आराजी को तकसीम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे.... आदि

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 बावजूद तलवी न्यायालय मे तारीख पेशी पर असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 15.03.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वकील वादी द्वारा दावा मे मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई एवं दावा तकसीम आराजी का होने के कारण दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर आराजी मुतनाजा को तकसीम हेतु तहसीलदार से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाने की प्रार्थना की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

हमने वकील वादी कीर बहस मे गहनता से मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के मुताबिक दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1790 वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सहखातेदारी का है। जिसके विभाजन की डिक्री बिना कुर्रे रिपोर्ट के पारित किया जाना सम्भव नही होने के कारण वादी के वाद पत्र को दिनांक 06.04.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि पर कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय मे पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार नीमराना द्वारा वादग्रस्त भूमि की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 26.05.2022 को तैयार करवाकर दिनांक 31.05.2022 को इस न्यायालय मे पेश की गई कि " मौके पर जोत की हुर्ठ भूमी को जांच व उपस्थित मौतविरान से पूछताछ करने पर जाहीर हुआ कि खसरा नम्बर 1790 के पश्चिमी–दक्षिणी हिस्से मे जो दक्षिण से उत्तर 144 मीटर व चौाई 54 मीटर अर्थात कुल भूमी का 1/3 हिस्सा यानि 0.78 है0 भूमी पर वादी अशोक कुमार का कब्जा है जिस पर जुताई की हुई है। खसरा नम्बर 1790 के शेष 1.56 है0 रकबे पर बिना निशान देही प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज है" तहसीलदार द्वारा पेश उक्त कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध किसी भी खातेदार/पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । कुर्रे रिर्पोट राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही पायी जाने पर वादी का वाद कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 के मुताबिक डिक्री किया जाता है और दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1790 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 को तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 के मुताबिक तकसीम किया जाकर एवं अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महेन्द्रसिंह यादव
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

:: पर्चा डिक्री ::

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
305 / 2019	20.11.2019	29.01.2025

उनवानः

1. अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र हंसराज जाटव निवास प्रताप कॉलोनी वार्ड सं0 2 तहसील छाबडा जिला बांरा राज0।
2. मैसर्स प्रियदर्शिनी पोलिसैक्स लि0 पंजीकृत कार्यालय एफ / 41 प्रथम तल ट्रेड सैन्टर स्टेशन रोड कोल्हापुर महाराष्ट्र–416001 जरिये डायरेक्टर प्रतीम एन. सिंघवी पुत्र नेमचन्द सिंघवी निवासी सी–503 ब्लूवैल अपार्टमेन्ट नियर लोहिया तुलिप अपार्टमेन्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.........प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री सतीश निमोरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।।। आदेश ।।

अतः वाद वादी तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 के मुताबिक डिक्री किया जाता है और दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1790 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 को तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 के मुताबिक तकसीम किया जाकर एवं अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

पर्चा डिक्रही आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)